राष्ट्रपति के आदेश

संविधान के अनुच्छेद 343 (3) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, संविधान लागू होने (25 जनवरी, 1950) से 15 वर्ष की अवधि में भी कुछ कार्यों में अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने निम्नानुसार आदेश जारी किए :

राष्ट्रपति के आदेश 1952 : राज्यों के पाज्यपालों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों (वारंट) में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा तथा देवनागरी अंकों को प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया।

राष्ट्रपति के आदेश 1955 : संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाएगा:

जनता के साथ पत्र-व्यवहार

प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकाएं और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट

सरकारी संकल्प और विधयी अधिनियमितियां

हिन्दी को राजभाषा के रुप में अपनाने वाले राज्यों के साथ पत्राचार

राजकीय, कौंसिलीय, पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी औपचारिक दतावेज

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग (Progressive Use) के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले कागजात

सामान्य आदेश	: General Order
सूचनाएं	: Notice
अधिसूचनाएं	: Notifications
प्रेस विज्ञप्तियां / प्रेस नोट	: Press Communiques / Press Notes
संविदाएं / करार / लाइसेंस	: Contracts / Agreements / Licences
परमिट	: Permits
टेंडर फार्म और नोटिस	: Forms of Tender & Notices
संकल्प	: Resolution
नियम	: Rules
संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रलेख	: Official Document/Paper laid before the
कागजात और अन्य रिपोर्ट	Parliament.
प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट	: Administrative or other Reports

(संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा): (Other than Report Laid before the Parliament

उक्त सभी सरकारी कागजात का द्वितीय रूप (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी करना संवैधानिक दायित्व है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24.11.95 के का.ज्ञा.सं.12021/5/95-रा.भा.(कार्या.-।।) से उद्धरण-मैनुअलों, फार्मों, कोडों आदि की हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी (डिगलॉट रूप में) आदि।

1. मैनुअल, फार्म, कोड आदि हिन्दी-अंग्रेजी (डिगलॉट रूप में) द्विभाषी छपवाए जाएं। फार्मों आदि के हिन्दी अक्षरों के टाइप अंग्रेजी से छोटे न हो।
2. सभी मंत्रालयों/विभाग अपने नियंत्रणाधीन प्रेस तथा अन्य कार्यालयों को आवश्य अनुदेश जारी करें ि कवे कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छापने के लिए स्वीकार न करें।
3. शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन निदेशालय को अनदेश है कि कोड/मैनुअल आदि को छपाई के लिए तभी स्वीकार किया जाए जब वे द्विभाषी रूप में हों।

(2) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क दिनांक 26 फरवरी, 1988 के का.ज्ञा.सं. 14034/15/87-रा.भा. (क-।) से उद्धरण-अंग्रेजी में प्राप्त पत्रो का उत्तर हिन्दी में देना।

1. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना आवश्यक है।
2. राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिन्दी में यिा जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिन्दी दिया जाए।

(3) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1992 के का.ज्ञा.सं. 12024/2/92-रा.भा. (ख-2)-4 से उद्धरण-हिन्दी में पत्राचार ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चुतर्थ खण्ड मे सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और 'ग' क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरुआत की जाए।
2. समिति के उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों, आदि से अनुरोध है ि कवे अपने यहाँ तथा अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

(4) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के का.ज्ञा.सं. 12024/2/92-रा.भा. (ख-2)-6 से उद्धरण-रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियाँ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के यह सिफारिश की है कि-(1) सभी उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अनुसार कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के होने चाहिए उनमें प्रविष्टियाँ हिन्दी में (2) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं।

2. समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि (1) 'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में ही की जाएं। 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियाँ यथासंभव हिन्दी में की जाएं। (2) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं।

(5) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के का.ज्ञा.सं. 12024/2/92-राभा. (ख-2) से उद्धरण-जाँच बिन्दु स्थापित करना ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जाँच बिन्दु बनाने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जाँच बिन्दुओं को प्रभावशाली ढंग से स्थापित करें।
2. मंत्रालयों/विभागों से संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है ि कवे राजभाषा नियमों की अनुपालन, सुनिश्चित करने एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बऱाने हेतु निम्नलिखित जाँच बिन्दु स्थापित करें:-

(क) लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना

प्रेषण अनुभाग को जाँच बिन्दु बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों की लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखें जाएं।

(ख) देवनागरी टाइपराइटरों की खरीद

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय अपने वहाँ टाइपराइटरों की खरीद संबंधी प्राप्त होने वाले इन्डेटों की जाँच करके यह देखता है कि क्या देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य का पालन हो रहा है। जो विभाग, कार्यालय या उपक्रम अपने टाइपराइटरों की खरीद, आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के मार्फत न करे सीधे ही करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के जाँच-बिन्दु बना देने चाहिए। उनका जो अधिकारी टाइपराइटर खरीदने के लिए आर्डर देता है उसे यह भी देख

लेना चाहिए कि क्या देवनागरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य का पालन हो रहा है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब तक देवनगरी टाइपराइटरों के लिए निर्धारित लक्ष्य नहीं पूरा होता तब तक रोमन टाइपराइटर न खरीदे जाएं।

(ग) सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाएं। इस प्रकार की प्रविष्टियाँ 'ग' क्षेत्र में यथासंभव हिन्दी में की जाएं। इस बात की पड़ताल सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ करते समय/उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए।

(6) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 1990 के का.ज्ञा.सं.12015/18/90-रा.भा.(त.क.) के उद्धरण-देवनागरी में यांत्रिक सुविधाएं ।

1. इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों के विषय में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब तक केवल देवनागरी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर का निर्माण नही हो जाता तब तक सभी कार्यालय केवल वही इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदें जिनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो।
2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे भविष्य में अब केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) टेलीप्रिंटर/टेलेक्स ही खरीदें या लीज पर लें। जिन कार्यालयों में इस समय रोमन टेलीप्रिंटर/टेलेक्स लीज पर हैं वे दूरसंचार विभाग को तुरंत इनके बदले द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंट/टेलेक्स लगाने का अनुरोध करें।
3. संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटरों में केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा है वहाँ देवनागरी टर्मिनल भी तत्काल लगाए जाने चाहिए। समिति की सिफारिश मान ली गई है। अत: सभी मंत्रालयों/विभाग इस समय उपलब्ध कम्प्यूटरों के बारे में स्थिति का जायजा लेकर यह सुनिश्चित करें कि सभी कम्प्यूटरों में देवनागरी में काम करने की क्षमता उपलब्ध कराने हेतु देवनागरी टर्मिनल का कार्ड लगा हो।

(7) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 13 फरवरी, 2001 के संकल्प सं.14034/4/99-रा.भा. (प्रशि.) से उद्धरण-हिन्दी प्रशिक्षण।

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04 नवम्बर, 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-राभा.(घ) का आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों अर्थात् 'क-, 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

(8) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06 मई, 1992 के का.ज्ञा.सं.12012/7/92-रा.भा. (ख-1) से उद्धरण-हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में यह सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो या दीर्घावधि का, हिन्दी माध्यम से सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियो के लिए हिन्दी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो।
2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है ि कवे हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने संबंधी सभी निर्देशों को पूरी तरह कार्यान्वित कराएं तथा इसकी सूचना राजभाषा विभाग को भिजवाएं।

(9) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 1990 के का.ज्ञा.सं.13015/1/90-रा.भा. (घ) से उद्धरण-हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी में काम करने के लिए पूरा लाभ उठाया जाए।
2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें हिन्दी टाइपराइटर, उपर्युक्तसंदर्भ साहित्य आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(10) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 5 अप्रैल, 1989 के का.ज्ञा.सं.13035/3/8-रा.भा. (ग) के उद्धरण-हिन्दी पदों का सृजन ।

हिन्दी के न्यूनतम पदों के मानकों पर पुन: विचार किया गया है ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पदों के मानकों और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जिससे कि अनावश्यक पदों की रचना न की जाए साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आवश्यक पदों का सृजन भी आसानी से किया जा सके।

(11) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 नवम्बर, 1990 के का.ज्ञा.सं.13017/3/90-रा.भा. (ग) से उद्धरण-विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूप हिन्दी में करना तथा फार्मो को द्विभाषी बनाया जाना।

(क) समिति के सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मो को हिन्दी में अनुदित काने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें और भरे जा सकें।

3. सभी मंत्रालयों/विभाग कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति ने मूल प्रारूपण के बारे में यह सिफारिश की है कि विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए ताकि हिन्दी में बनी विधियों का हिन्दी में निर्वचन कर निर्णय हिन्दी में लिखे जाएं।

(12) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17 जुलाई, 1992 के का.ज्ञा.सं.20034/53/92-रा.भा.(अ.वि.) से उद्धरण-केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायक/संदर्भ साहित्य, शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था तथ हिन्दी पुस्तकों की खरीद।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने और राजभाषा हिन्दी में मूल काम करने को सुकर बनाने के लिए सहायक हिन्दी पुस्तकों जैसे- अंग्रेजी-हिन्दी और हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश, सहायक और सन्दर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दावलियाँ, तकनीकी साहित्य, ललित साहित्य आदि का पूरा प्रचार किया जाए और इनका नि:शुल्क वितरण भी किया जाए। साथ ही पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का 50% हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिन्दी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरन्तर चलाई जानी चाहिए ताकि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि उनके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें।
2. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृपया उपर्युक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जाए।

(13) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के का.ज्ञा.सं.14012/6/87-रा.भा.(ग) से उद्धरण- अधीनस्थ-सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग।

1. इस मामले मे विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि 'ख' क्षेत्र में अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में और पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति उसी प्रकार दी जाए जिस प्रकार 6 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दी जा रही है।
2. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इस निर्णय को अपने सभी